आदेष की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेष और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेष पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

न्यायालय, समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया

आदेश

वाद संख्या-सी0आर0एम0-29/2012-13

सुभाष प्रसाद

बनाम

बिहार सरकार

23.09.14

यह अपील वाद अपीलकर्ता सुभाष प्रसाद वल्द भरत प्रसाद ग्राम-नौतन,पश्चिम नौतन थाना-नौतन जिला प0 चम्पारण द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी ,सह अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया के द्वारा पारित आदेश दिनांक-23.03.2012 जिसके तहत अनुज्ञप्ति संख्या-12/07 को तत्कालीक प्रभाव से रदद् कर दिया गया है, के विरूद्ध दायर किया गया है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अपीलकर्ता के अपील आवेदन के संदर्भ में निम्न न्यायालय की के अभिलेख की मांग की गयी थी। निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पंचायत पश्चिम नौतन वार्ड नं0-14 एवं 16 ग्राम+थाना-नौतन प्रखंड नौतन के ग्रामीण जनता को माह अक्टुबर 11 से दिसम्बर 11 तक के खाद्यान्न का भुगतान नही किया गया है। उपेन्द्र सहनी एवं अन्य ग्रामीण जनता ग्राम पंचायत राज पश्चिम नौतन द्वारा विक्रेता के विरूद्ध जनता दरवार में आवेदन पत्र दिया गया है। यह आवेदन पत्र वार्ड सदस्य एवं उप मुखिया द्वारा सत्यापित हैं। ग्रामीणों से विक्रेता द्वारा कहा गया है कि उन्हें सरकार से अक्टुबर से दिसम्बर तक का खाद्यान्न वितरण हेतु नही मिला है।

आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों (आरोप) के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी, बेतिया से जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई। जॉचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि उपभोक्ताओं के पास माह अक्टूवर-11 एवं माह दिसम्वर-11 का कुपन पाया गया। इससे स्पष्ट है कि जनवितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा उपभोक्ताओं को माह अक्टूबर-11 एवं माह दिसम्बर-11 तक का खाद्यान्न नही दिया गया है।

अनुज्ञापन पदा0 सह अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया के

आदेष की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेष और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेष पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

ज्ञापांक 168/आ0 दिनांक-12.03.12 द्वारा जनवितरण प्रणाली विक्रेता से स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी। उक्त पत्र को विक्रेता को दिनांक- 15.03.12 को प्राप्त कराया गया परन्तु निर्धारित तिथि-19.03.12 तक न तो विक्रेता द्वारा स्पष्टीकरण ही दिया गया औा न ही भण्डार पंजी और वितरण पंजी ही जॉच हेतु जमा किया गया। विक्रेता को अपने स्पष्टीकरण देने हेतु पुनः अनुमंडल पदाधिकारी ,बेतिया द्वारा समय दिया गया। दिनांक-23.03.12 तक विक्रेता द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। उल्लेख किया गया हैं कि विक्रेता द्वारा उपभेक्ताओं को माह अक्टुबर-11 एवं माह दिसम्बर-11 खाद्यान्न कालाबाजारी करने की नियत से नही दिया गया। स्पष्टीकरण भण्डार पंजी, वितरण पंजी जमा करने संबंधी आदेश का अवहेलना करने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश-2001 तथा अनुज्ञप्ति के शर्तो के उल्लंघन करने के आरोप के कारण जनवितरण प्रणाली विक्रेता के अनुज्ञप्ति संख्या-12/2007 को तत्कालिक प्रभाव से अनुज्ञापन पदा0 सह अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया द्वारा तत्कालिक प्रभाव से रद्व कर दिया गया है।

अनुज्ञापन पदा0 सह अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया सदर के आदेश दिनांक-23.03.2012 के विरूद्व जनवितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई है जिसका सी0डब्लू0जे0सी0नं0-8193/2012 सुभाष प्रसाद बनाम सरकार है। इस वाद में दिनांक-19.02.2013 को विलंम्ब छान्ति के आवेदन के साथ जनवितरण प्रणाली विक्रेता को अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अपील आवेदन-पत्र देने के लिए आदेश पारित किया गया हैं। इस आदेश की प्रति के साथ जनवितरण प्रणाली के विक्रेता द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से अपील दायर किया गया है।

अपीलकर्ता का कहना है कि उनके द्वारा दिनांक-23.03.2012 को कारण पृच्छा दाखिल दिया गया, अनुज्ञापन पदा0 सह अनुमंडल पदा0,बेतिया द्वारा उनके कारण पृच्छा पर विचार नही किया गया

आदेष की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेष और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेष पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

हैं। उनके द्वारा दिनांक-24.10.11 को माह अक्टूबर का खाद्यान्न 206 बी0पी0एल0 एवं 145 अन्तोदय परिवारो के बीच बाटँने हेतु उठाया गया है। दिनांक-21.01.12 को माह दिसम्बर 11 के खाद्यान्न का उठाव किया गया। उसना चावल होने के कारण अपभोक्ता विक्रेता के अनुरोध पर भी खाद्याान्न नही ले गयें तथा मुखिया से भी चावल उठाने के विक्रेता द्वारा अनुरोध किया उसके वावजूद भी उपभोक्ता चावल का उठाव नही किया गया बल्कि उनके द्वारा सामूहिक रूप से हस्ताक्षर युक्त आवेदन जिला पदाधिकारी के जनता दरबार में दिया गया है। अपने कथन के समर्थन में विक्रेता द्वारा कोई साक्ष्य नही दिया गया है।

विक्रेता द्वारा उपभेक्ताओं को चावल का उठाव करने के लिए उन्हें सूचना भी दी गई। लेकिन उनके द्वारा चावल का उठाव नही किया गया बल्कि उनके द्वारा सामूहिक रूप से हस्ताक्षर युक्त आवेदन अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिया गया। अपने कथन के सर्मथन में विक्रेता द्वारा कोई साक्ष्य नही दिया गया है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। मूल अभिलेख का अवलोकन किया गया। बिक्रेता पर मूल आरोप है कि इनके द्वारा माह अक्टूबर-2011 एवं दिसम्बर-11 तक खाद्यान्न उपभोक्ताओं के बीच नही बांटा है। निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी, बेतिया सदर के द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया था परंतु बिक्रेता द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब नही देने के कारण अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी, बेतिया सदर के द्वारा बिक्रेता की अनुज्ञप्ति संख्या-12/07 को रदद् कर दिया गया।

उपरोक्त तथ्यों पर सम्यक विवेचना के पश्चात इस मामलें को अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी, बेतिया सदर को वापस करते हुए आदेश दिया जाता है कि अनुज्ञप्ति रदद् होने से पूर्व अक्टूबर-2011 एवं दिसम्बर-11 के बीच खाद्यान्न का वितरण की जांच

आदेष की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेष और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेष पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

कर निर्णय लें। इस हेतु वे वितरण पंजी तथा जनवितरण प्रणाली बिक्रेता के द्वारा जमा कराये गये कूपन के आधार पर तथा भंडार में अनुज्ञप्ति रदद् होने की तिथि को उपलब्ध खाद्यान्न की मात्रा का सत्यापन कर निर्णय लेंगे। लेखापित एवं संधोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया
23/9/14

जिला दण्डाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया
23/9/14